

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 166 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 18/06/2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित समय-सीमा में निराकरण किये जाने से संबंधित सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (रिक्त न्यायालय)	RCSA/75/2014 Ramkhelavan Vs Nageshwar & Others.	श्री रजनीश ताम्रकार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर
2.	श्रीमती कीर्ति दुबे, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना	1- RCSA 58/20 Usha Pandey Vs Ramsajeevan & Others 2- RCSA 39/24 Raghunath Singh & Others Vs. Gopal sharan singh & Others.	श्री संदीप कुमार नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश

510
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 18/06/2025

पृष्ठांकन क्र0 2387 /

/दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर।
2. अतिरिक्त/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिरमौर/हनुमना।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)